Reg No :KNP/10455/2021-2022

मेरा अभिमान नारी सम्मान

Join now- 9453533610, 9415436652

स्व. रामप्रकाश गुप्ता
पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल उ.प्र.

दहेज प्रथा मुक्त भारत संस्था

(Registered Under Society Registration Act-21 1860)

(दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत)

Web: Dahejprathamuktbharat.in | Email ID : Dahejprathamuktbharat145@gmail.com

स्थापित –2017

दहेज निषेध अधिनियम

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन–देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।

यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304–बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

आज जीवन विलासी होता जा रहा है। जो सामान लड़के पहले 15–20 साल काम करके इकट्ठा कर पाते थे, वही सामान आज लड़के विवाह के समय बटोर लेना चाहते हैं। यह उपभोक्तावादी प्रवृत्ति भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नितान्त विरुद्ध है। आज इन पवित्र परम्पराओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण दूषित होता जा रहा है। दहेज एक सामाजिक समस्या है जिसका उन्मूलन तभी हो सकता है जब हम संकल्पपूर्वक इसके विरुद्ध कदम उठाएं।

दहेज से सम्बंधित किसी भी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को अपनी पहल पर कदम उठाने होंगे।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के महत्वपूर्ण प्रावधान
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 को दहेज (निषेध) अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984 और 1986 के तौर पर संशोधित किया गया जिसमें दहेज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:–

"दहेज" का अर्थ है प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गयी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा या उसे देने की सहमति":–

विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष कोय या
विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वाराय या
विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति कोय
शादी के वक्त, या उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो कि उपरोक्त पक्षों से संबंधित हो जिसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती, अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) लागू होता हो।
इस प्रकार दहेज से संबंधित तीन स्थितियां हैं–

Sharad Gupta
Founder & President
Dahej Prath Mukt Bharat Sanstha

Reg No :KNP/10455/2021-2022

मेरा अभिमान नारी सम्मान

Join now- 9453533610, 9415436652

स्व. रामप्रकाश गुप्ता
पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल उ.प्र.

दहेज प्रथा मुक्त भारत संस्था

(Registered Under Society Registration Act-21 1860)

(दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत)

Web: Dahejprathamuktbharat.in | Email ID : Dahejprathamuktbharat145@gmail.com

स्थापित –2017

विवाह से पूर्वय
विवाह के अवसर परय
विवाह के बादय
दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास है या 5000 रूपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है। वधु के माता–पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर भी यही सजा दी जाती है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को भी बढाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम दस साल की कैद की सजा तय कर दी गयी है। वहीँ जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रूपये या ली गयी, दी गयी या मांगी गयी दहेज की रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के बराबर कर दिया गया है। हालाँकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला किया है लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को जरूरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है (दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4)।

दंडनीय है–

दहेज देना
दहेज लेना
दहेज लेने और देने के लिए उकसाना
वधु के माता–पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग
(दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4)

दहेज के लेन और देन के सम्बन्ध में सारे समझौते बेकार हैं और इन्हें कोई भी विधि अदालत लागू नहीं कर सकती है। वधु के अलावा अगर किसी व्यक्ति को दहेज मिलता है तो उसे वधु के खाते में तीन महीने के अन्दर रसीद समेत जमा करना होगा। अगर वधु नाबालिग है तो उसके बालिग होने के तीन महीने के अन्दर संपत्ति को हस्तांतरित करना होगा। अगर वधु की इस प्रकार के हस्तांतरण से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को उक्त समान शर्तों के तहत दहेज को हस्तांतरित करना होगा। ऐसा नहीं कर पाने की दशा में दहेज अधिनियम के तहत यह दंडनीय अपराध होगा और किसी भी सूरत में अदालत को नियत न्यूनतम सजा से कम दंड देने का अधिकार नहीं होगा।

दहेज के मुकदमे पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ही है। दहेज के अपराध का संज्ञान या तो मजिस्ट्रेट खुद ले सकता है या वह पुलिस रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों जिनसे अपराध का पता चलता है, के आधार पर

Sharad Gupta
Founder & President
Dahej Prath Mukt Bharat Sanstha

Reg No :KNP/10455/2021-2022

मेरा अभिमान नारी सम्मान

Join now- 9453533610, 9415436652

स्व. रामप्रकाश गुप्ता
पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल उ.प्र.

दहेज प्रथा मुक्त भारत संस्था

(Registered Under Society Registration Act-21 1860)

(दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत)

Web: Dahejprathamuktbharat.in | Email ID : Dahejprathamuktbharat145@gmail.com

स्थापित –2017

या ऐसे व्यक्ति के माता–पिता या अन्य रिश्तेदार द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर या मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्थान या संगठन के द्वारा दर्ज कराई गयी शिकायत के आधार पर संज्ञान ले सकता है। आमतौर पर लड़कीवाले शिकायत दर्ज करने में हिचकते हैं, इसलिए कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा दर्ज शिकायतों को मान्यता मिलने से इस अधिनियम की संभावनाएं व्यापक हुई हैं।

मुख्य विधि में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन किये गये। महिला एवम बाल विकास मंत्रालय दहेज निषेध अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में और बदलाव करना चाह रही है ताकि दहेज निषेध कानूनों को और अधिक धारदार बनाया जा सके। 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये थे। इन सिफारिशों पर एक अंतर–मंत्रालयी बैठक में विचार–विमर्श किया गया और विधि एवम न्याय मंत्रालय के परामर्श से दहेज निषेध (संशोधन) विधेयक 2010 की रूपरेखा तैयार की गयी।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किये गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाए।

महिला जहाँ कहीं भी स्थायी या अस्थायी तौर पर रह रही है वहीं से दहेज की शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए।

दहेज देने के लिए कम सजा और दहेज लेने के लिए अधिक दंड की व्यवस्था की जाए क्योंकि अक्सर लड़की के माता–पिता अपनी मर्जी के खिलाफ दहेज देने के लिए मजबूर किये जाते हैं। और उनके लिए भी समान दंड की व्यवस्था की जाए जो लड़कीवालों को शिकायत करने के लिए हतोत्साहित करते हैं।

स्वैच्छिक तौर पर दिए गये "उपहारों" और दबाव या मजबूरी में आकर दिए गये तोहफों में साफ अंतर किया जाना चाहिए।

दंपत्ति के लिए शपथ पत्र के प्रपत्र में विवाह के सम्बन्ध में आदान–प्रदान किये गए उपहारों की सूची बनाई जाए और दहेज निषेध अधिकारी के द्वारा सूची को नोटरी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

उपरोक्त सम्बन्ध में गैर–अनुपालन वर, वधु और उनके माता–पिता के लिए दंडनीय अपराध होगा।
अधिनियम से जुडी प्रमुख धाराएँ
धारा 2

दहेज का मतलब है कोई सम्पति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से:

Sharad Gupta
Founder & President
Dahej Prath Mukt Bharat Sanstha

National office: 12 A-1 Ganeshpur Road Sanigawa Kanpur Nagar U.P. 208021
National Sub office : C- Block, Apoorvi Apartment, Near RTO Office East, New Delhi, 110002

Reg No :KNP/10455/2021-2022

मेरा अभिमान नारी सम्मान

Join now- 9453533610, 9415436652

स्व. रामप्रकाश गुप्ता
पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल उ.प्र.

दहेज प्रथा मुक्त भारत संस्था

(Registered Under Society Registration Act-21 1860)

(दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत)

Web: Dahejprathamuktbharat.in | Email ID : Dahejprathamuktbharat145@gmail.com

स्थापित –2017

विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार कोय या
विवाह के किसी पक्षकार के
अविभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद देने या देने के लिए सहमत होना। लेकिन जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में महर दहेज में शामिल नहीं होगा।

धारा–3

दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम पाँच वर्ष के कारावास साथ में कम से कम पन्द्रह हजार रूपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा।

धारा 4

दहेज की मांग के लिए जुर्माना–

यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम छः मास और अधिकतम दो वर्षों के कारावास की सजा और दस हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

धारा 4ए

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मिडिया के माध्यम से पुत्र–पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है और उसे भी कम से कम छह मास और अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास की सजा तथा पंद्रह हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

धारा 6

यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के तीन माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के एक वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि महिला की मृत्यु हो गयी हो और संतान नहीं हो तो अविभावक को दहेज अन्तरण किया जाएगा और यदि संतान है तो संतान को अन्तरण किया जाएगा।

Sharad Gupta
Founder & President
Dahej Prath Mukt Bharat Sanstha

Reg No :KNP/10455/2021-2022

मेरा अभिमान नारी सम्मान

Join now- 9453533610, 9415436652

स्व. रामप्रकाश गुप्ता
पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल उ.प्र.

दहेज प्रथा मुक्त भारत संस्था

(Registered Under Society Registration Act-21 1860)

(दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत)

Web: Dahejprathamuktbharat.in | **Email ID :** Dahejprathamuktbharat145@gmail.com

स्थापित –2017

धारा 8ए

यदि घटना से एक वर्ष के अन्दर शिकायत की गयी हो तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या क्षुब्ध द्वारा शिकायत किये जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

धारा 8बी

दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाये गये नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कारित करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा।

Sharad Gupta
Founder & President
Dahej Prath Mukt Bharat Sanstha